

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- ५४ (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10456/3113

दिनांक :- 12/03/19

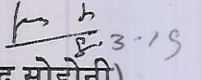
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नवीन शर्मा [लिंक न. 10456] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालपुरा, टोंक - [32114] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/01/2019 से 01/02/2019 तक 25 दिवस

कुल 25 दिवस

उक्त कुल 25 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नवीन शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- ५४ (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10456/3113

दिनांक :- 12/03/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधिशाषी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालपुरा, टोंक
2. कोषाधिकारी टोंक
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नवीन शर्मा [10456] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालपुरा, टोंक
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)